राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. डीडीएमए/कोविड–19/2020/20 **दिनांक 03.04.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है;

और जबकि, भारत सरकार ने ''कोविड–19'' की महामारी को रोकने के लिए 25 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित पूरे भारत में लॉकडाउन किए जाने के लिए अधिसूचना जारी की है;

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए जा रहे हैं।

और जबकि, दिल्ली की मतदाता सूचियों में 50198 व्यक्ति शारीरिक रूप से अशक्त (दिव्यांगजन) व्यक्तियों के रूप में पंजीकृत किए गए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने अपने 27 मार्च, 2020 के पत्र के द्वारा ऐसे व्यक्तियों के आंकड़े संबंधित जिलाधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली को उपलब्ध कराया गया है।

और जबकि, लॉकडाउन अवधि के दौरान शारीरिक रूप से अशक्त/दिव्यांगजन ध्यान रखने वालों, नौकरों की सेवाएं तथा अनिवार्य वस्तुओं को पाने के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे।

और जबकि, अशक्त व्यक्तियों के लिए नियुक्त मुख्य आयुक्त ने अशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के 31 मार्च, 2020 के पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) के पत्र का हवाला देते हुए कोविड–19 के कारण आपात स्थिति के दौरान अशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) की संरक्षा तथा सुरक्षा के लिए 26 मार्च, 2020 के दिशा–निर्देशों सहित व्यापक अशक्तता का उल्लेख किया है. उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार, अशक्त व्यक्तियों के लिए तैनात राज्य आयुक्त से अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करें ताकि समस्त अपेक्षित प्राधिकरणों जैसे राज्य/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्वास्थ्य और कानून लागू करने वाले प्राधिकरणों के साथ नजदीकी समन्वय रखते हुए क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके, ताकि लॉकडाउन अवधि के दौरान अशक्त व्यक्तियों की कठिनाइयों को न्यूनतम किया जा सके।

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 22 के तहत निहित शक्तियों का अनुपालन करते हुए, राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि समाज कल्याण विभाग समस्त जिलाधिकारियों के सहयोग से सुनिश्चित करेंगे कि :–

क. लॉकडाउन के दौरान अशक्त व्यक्तियों का ध्यान रखने वालों/गैर सरकारी संगठनों/अशक्त व्यक्तियों की एसोसिएशनों के लिए प्राथमिकता के आधार पर सरल तरीके से लोकल मूवमेंट पास जारी किए जाने की आवश्यकता है।

ख. अपेक्षा की जाती है कि अशक्त व्यक्तियों को अनिवार्य तौर पर भोजन, पानी और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति होती रहेगी।

ग. गैर सरकारी संगठनों और अशक्त व्यक्तियों की एसोसिएशनों (जो दिव्यांगजनों के जीवन–यापन और अनिवार्य वस्तुओं के लिए काम रहे हों) के साथ उचित समन्वय रखा जाएगा ताकि अशक्त व्यक्तियों के लिए सपोर्ट सर्विसेस का सुगम प्रवाह सुनिश्चित हो सके।

घ. पीडब्ल्यूडी कोविड–19 के रोगियों को अस्पतालों और स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले संस्थानों से बाहर नहीं रखा जा सकता।

ङ. दिव्यांगजनों को आवश्यक सपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए देरी नहीं की जानी चाहिए।

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी जाए.

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
2. दिल्ली के समस्त जिलाधिकारी.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली।
5. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, दिल्ली।
6. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, दिल्ली।
7. आयुक्त दिव्यांजन, दिल्ली।
8. अपर मुख्य सचिव (गृह), दिल्ली।

9. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।

10. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, सरकार।

11. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।

12 आयुक्त (दक्षिण दिल्ली नगर निगम/पूर्व दिल्ली नगर निगम/उत्तर दिल्ली नगर निगम)।

13. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), दिल्ली।

14. समस्त जिला डीसीपी, दिल्ली पुलिस।

15. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली।

16. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।